

**GOVERNMENT OF INDIA/BHARAT SARKAR
MINISTRY OF RAILWAYS/RAIL MANTRALAYA
(RAILWAY BOARD)**

PC-VI No. 118
RBE No. 114 /09

No. E(P&A)I-2009/AL/2

New Delhi, Dated : 22.06.2009.

**The General Managers,
All Indian Railways,
Production Units, etc.**

- Sub.** : Enhancement of rates of Post Graduate Allowance and Annual Allowance to Medical Officers for possessing Post Graduate Degree/Diploma qualification.
- Ref.** : (i) Board's letters No. E (P&A)I-98/AL/7 dated 7.12.98 and Ministry of Health & Family Welfare's O.M. No. A.45012/4/2008-CHS.V dated 16.4.09.
- (ii) Board's letter No. E(P&A)I-98/AL/5 dated 27.10.98 and Ministry of Health & Family Welfare's O.M. No. A.45012/5/2008-CHS.V dated 16.4.09.

In reference to the recommendations of the VIth Central Pay Commission on the above subject, the President is pleased to decide that hereafter Medical Officers will be granted Post Graduate Allowance and Annual Allowance as detailed below:-


Post Graduate Allowance

S.No.	Category	Existing rates	Revised rates
(a)	Railway Doctors upto the level of non-functional selection grade having Post Graduate qualification recognised under Indian Medical Council Act, 1956.	Rs. 500/- p.m.	Rs. 1000/- p.m.
(b)	General Duty Doctors upto the level of non-functional selection grade having P.G Diploma qualification recognised under Indian Medical Council Act, 1956.	Rs. 300/-p.m.	Rs.600/-p.m.

Annual Allowance

S.No.	Category	Existing rates	Revised rates
(a)	Railway doctors having Post Graduate qualification recognised under Indian Medical Council Act, 1956.	Rs. 500/- p.m.	Rs. 1000/- p.m.
(b)	General Duty Doctors who do not possess any P.G qualification or who possess unrecognised P.G. Qualification.	Rs. 300/-p.m.	Rs.600/-p.m.

3. The rates of these allowances will be increased by 25% whenever the Dearness Allowance payable on the revised pay structure goes up by 50%.
4. The revised rates will be effective from September 01, 2008.
5. The terms & conditions as contained in para 1426 of IREC Vol.II (Sixth Edition -1987), Second Reprint Edition -2005, will remain unchanged.
6. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.
7. Please acknowledge receipt.


(Dharam Pal)
Dy. Director Estt.(P&A)II
Railway Board.

No. E(P&A)I-2009/AL/2

New Delhi, Dated : 22 .06.2009.

Copy to:


1. The Principal Director of Audit, All Indian Railways.
2. The Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), Room No. 224 Rail Bhawan, New Delhi(with 40 spares).


for Financial Commissioner/Railways.

No. E(P&A)I-2009/AL/2

New Delhi, Dated : 22 .06.2009.

Copy to the FA &CAOs, All Indian Railways & Production Units etc.


(Dharam Pal)
Dy. Director Estt.(P&A)II
Railway Board.

No. E(P&A)I-2009/AL/2

New Delhi, Dated : 22 .06.2009.

Copy forwarded to:-

1. The General Secretary, NFIR(with 35 spares).
2. The General Secretary, AIRF(with 35 spares).
3. The Members of the National Council Departmental Council and Secretary, Staff Side, National Council, 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi (with 90 spares).
4. The Secretary General FROA, Room No. 256-A, Rail Bhawan, New Delhi (with 5 spares)
5. The Secretary, RBSS, Group 'A' Officers' Association, R.No.402, Rail Bhawan(with 5 spares).
6. The President, Railway Board Class II Officers' Association.
7. The Secretary General, IRPOF, Room No.268, Railway Board.
8. The President, Indian Railway Class II Officers' Association.

सं. ई(पी एंड ए)I-2009/एएल/2

नई दिल्ली, दिनांक: 22.06.2009

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें,
उत्पादन इकाइयां, इत्यादि।

विषय: स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा अर्हता रखने वाले चिकित्सा अधिकारियों के स्नातकोत्तर भत्ता और वार्षिक भत्ता की दरों में बढ़ोतरी।

संदर्भ: (i) बोर्ड के 07.12.98 के पत्र सं. ई (पी एंड ए)I-98/एएल/7 और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का 16.04.09 का का. ज्ञा. सं. ए.45012/ 4/ 2008-सीएचएस.वी।

(ii) बोर्ड के 27.10.98 के पत्र सं. ई (पी एंड ए)I-98/एएल/5 और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का 16.04.09 का का. ज्ञा. सं. ए.45012/5/2008-सीएचएस.वी।

उपर्युक्त विषय पर छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के संदर्भ में, राष्ट्रपति जी एतदुपश्चात चिकित्सा अधिकारियों को स्नातकोत्तर भत्ता और वार्षिक भत्ता नीचे विवरणानुसार प्रदान करने का सहर्ष विनिश्चय करते हैं:-

स्नातकोत्तर भत्ता

क्र. सं.	कोटि	मौजूदा दरें	संशोधित दरें
(क)	भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 के तहत मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर अर्हता रखने वाले गैर फंक्शनल सेलेक्शन ग्रेड स्तर के रेलवे डॉक्टर।	500/- रुपए प्रति माह	1000/- रुपए प्रति माह
(ख)	भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 के तहत मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर अर्हता रखने वाले गैर फंक्शनल सेलेक्शन ग्रेड स्तर तक के सामान्य ड्यूटी डॉक्टर।	300/- रुपए प्रति माह	600/- रुपए प्रति माह

वार्षिक भत्ता

क्र. सं.	कोटि	मौजूदा दरें	संशोधित दरें
(क)	भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 के तहत मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर की अर्हता रखने वाले रेलवे डॉक्टर।	500/- रुपए प्रति माह	1000/- रुपए प्रति माह
(ख)	ऐसे सामान्य ड्यूटी डॉक्टर जिनके पास स्नातकोत्तर अर्हता नहीं है अथवा जिनके पास गैर मान्यता प्राप्त संस्थान की स्नातकोत्तर अर्हता हो।	300/- रुपए प्रति माह	600/- रुपए प्रति माह

2. जब भी कभी संशोधित वेतन संरचना पर देय मंहगाई भत्ता 50% तक पहुंच जाएगा, इस भत्ते की दर स्वतः 25% तक बढ़ जाएगी।

3. संशोधित दरें 1 सितंबर, 2008 से प्रभावी होंगी।

क्रमशः.....2/-

4. भारतीय रेल स्थापना कोड वॉल्यूम-II (छठा संस्करण 1987) द्वितीय पुनर्मुद्रण 2005 के पैरा 1426 में यथानिर्दिष्ट निबंधन एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।
5. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।
6. कृपया पावती दें।


(धर्मपाल)

उप निदेशक स्था.(पी एंड ए)II
रेलवे बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक: 22.06.2009

सं. ई(पी एंड ए)I-2009/एएल/2

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. प्रधान लेखा परीक्षक, सभी भारतीय रेलें।
2. भारत के उपनियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें) कमरा नं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली (40 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।


कृते वित्त आयुक्त, रेलें

सं. ई(पी एंड ए)I-2009/एएल/2

विस एवं मुलेधि, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयों को प्रतिलिपि प्रेषित।

नई दिल्ली, दिनांक: 22.06.2009


(धर्मपाल)


उप निदेशक स्था.(पी एंड ए)II
रेलवे बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक: 22.06.2009

सं. ई(पी एंड ए)I-2009/एएल/2

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. महासचिव, एनएफआईआर (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
2. महासचिव, एआईआरएफ (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
3. विभागीय परिषद एवं राष्ट्रीय परिषद के सभी सदस्य, सचिव कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली (90 अतिरिक्त प्रतियां)।
4. महासचिव, फ्रोआ।
5. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप "ए" ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 402, रेल भवन (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
6. अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड क्लास-II ऑफिसर्स एसोसिएशन।
7. महासचिव, इरपोफ, कमरा नं. 341-सी, रेलवे बोर्ड।
8. अध्यक्ष, भारतीय रेल क्लास-II ऑफिसर्स एसोसिएशन।
9. सचिव, रेलवे बोर्ड मिनिस्ट्रीयल स्टॉफ एसोसिएशन।
10. सचिव, रेलवे बोर्ड क्लास-IV स्टॉफ एसोसिएशन।
11. महासचिव, एआईआरपीएफ एसोसिएशन।
12. महासचिव, अखिल भारतीय अ.जा./अ.ज.जा. रेलवे कर्मचारी एसोसिएशन, कमरा नं. 8, भूतल, रेल भवन, नई दिल्ली-110 001.
13. महासचिव, सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन (पंजी.) 490ए/16, गुरुद्वारा रोड, गुडगांव।
14. मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त, 16, अशोक रोड, लखनऊ।


कृते सचिव, रेलवे बोर्ड